प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 01 जून 2017 को प्रातः 9:00 बजे डॉ0 बी0के0 ओझा विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी विभाग/ चिकित्सा अधीक्षक शताब्दी अस्पताल ने मौखिक रूप से सूचित किया की गत रात्रि दस बजे उपरांत चिकित्सा विश्वविद्यालय के शताब्दी अस्पताल में एक अप्रिय घटना घट गई है।

हरदोइ जिले के 45 वर्षीय एक व्यक्ति जिनकी सर्वाइकल डिस्क की शल्य क्रिया जनवरी 2017 मे हुई थी। और उस शल्य क्रिया के उपरांत वह स्वस्थ्य लाभ कर रहे थे परंतु अभी भी वह लाठी के सहारे चल रहे है। वह पूर्व में कई बार शल्य क्रिया के बाद भी चिकित्सा एवं परामर्श के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय में आते रहे है। वह पुनः मंगलवार को चिकित्सालय आये थे तथा उन्हे यह जानकारी हुई की डॉ0 क्षीतिज श्रीवास्तव न्यूरो सर्जन बृहस्पति वार को ओ0पी0डी0 में मरीजो को देखते है इसलिए वह शताब्दी अस्पताल के परिसर में ही रात्रि में रूक गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। उपचार एवं परामर्श के लिए पूर्व मे कई बार चिकित्सालय परिसर में आने की वजह से उनकी यहां के कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों से दोस्ती हो गयी थी। गत रत्रि मे 10 बजे के उपरांत कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा कर्मी शिव कुमार ने जिनसे कि उनका पुराना परिचय भी था, उन्हे भोजन देने के बहाने शताब्दी अस्पताल परिसर में ले गया तत्पश्चात चूकि मरीज चलने में असमर्थ था अतः उक्त सुरक्षा कर्मी ने उनकी पत्नी को भोजन देने के नाम पर लिफ्ट द्वारा सबसे उपर के हाल में ले गया और वहा पर उसके कुछ साथी विनय (कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्यरत लिफ्ट संचालक) संतोष (कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा कर्मी) जिनकी ड्यूटी समाप्त हो चूकी थी वह भी वहा मिल गए। तत्पश्चात शिव कुमार वापस आकर मरीज के पास बैठ गया। कुछ देर पश्चात मरीज की पत्नी शोर माचाते हुए आयी और उन्होने अपने पति को विनय और संतोष द्वारा जबरदस्ती किये जाने की बात बताई। उक्त घटना की जानकारी मरीज ने चिकित्सा विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को नही दी वरन् पुलिस को सुचना दे दी। प्रातः 7:00 बजे पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिव कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया एवं उक्त घटना मे सम्मीलित दो अन्य आरोपियों मे संतोष भी शाम तक पुलिस द्वारा हिरासत मे ले लिया गया है। मरीज चिकित्सालय में भर्ती नही था और वह बृहस्पति वार को ओ0पी0डी0 मे दिखाने के लिए आया था और रात्रि मे परिसर मे रूक गया था।

प्रातः 9:30 बजे माननीय कुलपति महोदय को उक्त घटना की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं कुलानुशासक द्वारा दी गई। कुलपति महोदय ने घटना स्थल पर जाकर चिकित्सा अधीक्षक, शताब्दी आस्पताल डॉ0 बी0के0 ओझा से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और डॉ0 ओझा एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को चौक कोतवाली जाकर अभियुक्त शिव कुमार तथा कोतवाली के पुलिस कर्मियों से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। उक्त घटना की जानकारी कर उक्त दोनो अधिकारीयों ने घटना के सम्बंध में माननीय कुलपति महोदय को अवगत करया गया। तत्पश्चात मानीय कुलपति महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था मिश्रा सिक्योरिटी एवं पैंथर्स दोनो कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड करने का निर्णय लिया गया।

(प्रो0 नरसिंह वर्मा)
फैकल्टी इंचार्ज, मीडिया सेल
चिकित्सा संकाय, केजीएमयू

(प्रो0 विभा सिंह)
फैकल्टी इंचार्ज, मीडिया सेल
दंत संकाय, केजीएमयू